



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख, 1942 (श०)

संख्या- 191 राँची, शुक्रवार,

8 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

#### संकल्प

13 मार्च, 2020

संख्या--5/आरोप-1-383/2014-4423 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री ललन कुमार, झा0प्र0से0, सम्प्रति-निलंबित (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची) द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में OBC Category अन्तर्गत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गयी है। इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर

मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनिल कुमार सिंह, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री ललन कुमार, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  |
| 1      | LALAN KUMAR<br>JHK/JAS/174  | श्री ललन कुमार, झा0प्र0से0, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुधीर कुमार रंजन,**  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

-----